रोस्टर कार्यों / चुनाव कार्यों में व्यस्त हूँ।
पत्रावली वास्ते माक्षिम कार्यवाही दिनांक
23-5-18 को पेश हो।
रीडर

23-5-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी तहसीलदार नवलगढ़ उप० व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया।

प्रार्थी पुत्र का आरोप ग्राम टोडपुरा की कृषि ख.नं. 646, 647, 648 व ग्राम कोलोड़िया की भूमि ख.नं. 402, 1754, 1777, 1778, 753 754, 755 में नामदीप सिंह पुत्र जुगन सिंह के स्थान पर दिलीप सिंह पुत्र जुगन सिंह दर्ज कर शुद्ध किये जाने का चाहा है।

तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दिलीप सिंह होना स्वीकार किया है व दीप सिंह के स्थान पर दिलीप सिंह पिता जुगन सिंह दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात पत्रावली में ग्राम पंचायत स्वैराना का प्रमाण पत्र कार्यालय मुख्य अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन नि. झुंझुनू का कार्यालय आदेश व सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र तथा परिवार राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की।

उक्त दस्तावेजात व तहसीलदार रिपोर्ट तथा पत्रावली के अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी

आदेश	कार्यवाही विवरण
	सवंत 2067-70 मौजा बागोटिया ढाणी व धीवा की ढाणी संवत 2071-74 का अवलोकन किया। ग्राम बागोटिया की ढाणी जमाबंदी संवत 2067-70 के खाता नं 78,172 व धीवा की ढाणी संवत 2071-74 के खाता नं 64 में प्रार्थी का नाम दीप सिंह पुत्र सुगनसिंह के रूप में दर्ज है जबकि संलग्न दस्तावेजात में दिलीप सिंह पुत्र सुगन सिंह है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का उल्लेखित खातो में नाम दीप सिंह के स्थान पर दिलीप सिंह पुत्र सुगन सिंह किया जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से वक्त हो बाद तामील तरमीम दाखिल दफ्तर हो। फैसला आज दिनांक 23.5.18 को खुले न्यायालय (शिविर) नवलगढ़ में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़